भा0कृ0अनु0परि0- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी(उ0प्र0)

09/जी.ए.सी./49वीं/आई.एम.सी./2024

दिनांकः **29.04.2024**

परिपत्र

संस्थान में कार्यरत् समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्यवक(चारा फसलें)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/इकाईयों में कार्यरत् समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में संस्थान प्रबंध समिति की 49 वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 को रखे गये ऐजेण्डा आइटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए एवं तद्नुसार इस संबंध में परिषद को यथार्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, तहसील- निवाडी, जिला(म0प्र0)-472246, रतन ज्योति नेत्रालय, ऑप्थैलमिक संस्थान एवं रिसर्च सेन्टर, नियर मेडिकल कॉलेज गेट नं0 3, झाँसी(उ.प्र.) एवं बुन्देलखण्ड सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर मेडिकल कॉलेज, हाइवे, झाँसी(उ.प्र.) को संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग की सुविधाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में सम संख्यक पत्र फा.सं GA/09/48th IMC/2023 दिनांकित 09.02.2024 के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पत्र संख्या CS/16/5/2019-IA.IV(e.no 54730) दिनांकः 06.03.2024 के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरांकित चिकित्सालयों से यथार्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, तहसील- निवाडी, जिला(म0प्र0) दिनांक 24.04.2024 को इस संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. किया जा चुका है।

अतः संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/पारिवारिक आश्रितों को **यथार्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, तहसील- निवाडी, जिला(म0प्र0) चिकित्सालय** से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ निम्नलिखत औपचारिकताओं को पूर्ण करने पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।

1. यथार्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, तहसील- निवाडी, जिला(म0प्र0 से स्वयं की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय-पत्र को अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
2. पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाऐं प्राप्त कारने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अलग से परिचय पत्र का प्रारूप वांछित दिशा-निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाऐं सी.जी.एच.एस की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पतालों को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस/सी.एस(एम.ए) की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
4. आकस्मिक स्थिति में इन आस्पतालों द्वारा 24 घंटे चिकित्सीय सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेगीं।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

प्रभारी कार्यालयाध्यक्ष

वितरण:

1. निदेशक, भा0कृ0अनु0परि0-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी।
2. सभी विभागाध्याक्षों/परियोजना समन्यवयक(चारा फसलें)/वरि.वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा0 प्रशा0 अधिकारीगण/सभी इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत् सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, यथार्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओरछा तिगैला, तहसील- निवाडी, जिला(म0प्र0),
4. संस्थान बेवसाइट एवं ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।
5. संबन्धित पत्रावली।

प्रभारी कार्यालयाध्यक्ष